103

संo– 151 /IV(2)-श0वि0–04(सा0)–2013

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2013

विषय : विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1794 / श0वि0नि0–2012–986(वि0प0स0)12, दिनांक 31.01.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में अवस्थित 29 नगर निकायों में भारत सरकार द्वारा प्राप्त विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सिविल कार्यों सहित कुल रू. 790.49 लाख की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 में प्राविधानित सिविल निर्माण कार्यों कां टी0ए0सी0 द्वारा किए गए परीक्षणोपरान्त संलग्न–1 के विवरणानुसार संस्तुत 29 नगर निकायों हेतु कुल **रू. 732.53 लाख (रूपये सात करोड़ बत्तीस लाख त्रेपन हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्री क्रय करने की प्रक्रिया एवं निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण सहित योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. निर्माण कार्य करने के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता / अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 / XIV-219 / 2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
8. उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाय कि केवल एस0पी0ए0 के अन्तर्गत अनुमोदित स्थानों/नगर निकायों के लिए ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–14–"नगर निकायों में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन परियोजना का क्रियान्वयन" के मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 979/XXVII(2)/2012, दिनांक– 25 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी– s.1.30.31.30.619 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0– 151 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः 151 /IV(2)-श0वि0–04(सा0)–2013, दिनांक 25 मार्च, 2013 का संलग्नक।

संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	संस्तुत धनराशि
1.	उधमसिंहनगर	नगर पंचायत, शक्तिगढ़	15.38
2.		नगर पंचायत, महुआडाबरा	14.93
3.		नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज	22.46
4.		नगर पंचायत, केलाखेड़ा	18.72
5.		नगरपालिका परिषद, खटीमा	22.96
6.		नगरपालिका परिषद, किच्छा	35.07
7.	देहरादून	नगरपालिका परिषद, विकासनगर	22.92
8.		नगरपालिका परिषद, मसूरी	78.62
9.		नगर पंचायत, डोईवाला	24.61
10.	पौड़ी	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम	14.48
11.		नगरपालिका परिषद, कोटद्वार	28.20
12.		नगरपालिका परिषद, श्रीनगर	40.67
13.	नैनीताल	नगर पंचायत, लालकुआ	15.38
14.		नगर पंचायत, भीमताल	21.78
15.		नगरपालिका परिषद, रामनगर	44.48
16.		नगरपालिका परिषद, भवाली	22.54
17.	टिहरी	नगर पंचायत, मुनिकी रेती	18.89
18.		नगर पंचायत, चम्बा	17.57
19.		नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	18.89
20.	उत्तरकाशी	नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी	24.38
21.	चमोली	नगर पंचायत, गौचर	22.69
22.		नगर पंचायत, नन्दप्रयाग	11.57
23.		नगर पंचायत, कर्णप्रयाग	22.41
24.		नगरपालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर	36.99
25.	अल्मोड़ा	नगर पंचायत, द्वाराहाट	9.85
26.	पिथौरागढ़	नगर पंचायत, डीडीहाट	20.00
27.	हरिद्वार	नगर पंचायत, लण्ढौरा	30.50
28.		नगर पंचायत, झबरेड़ा	20.46
29.		नगर पंचायत, लक्सर	35.13
योग–			**732.53**

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।